

आमखास मैदान पर फुटबॉल स्टेडियम जरूर बनेगा, इम्तियाज जलील भ्रम न फैलाएं

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष समीर काज़ी का बयान।

छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), २ मई (प्रतिनिधि): महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के तहत आमखास मैदान पर फुटबॉल स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इसी संदर्भ में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष समीर काज़ी ने पूर्व सांसद इम्तियाज जलील द्वारा फैलाए गए 'भ्रम' पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टेडियम के लिए आरक्षित भूमि को लेकर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और सभी कार्य राज्य सरकार की अनुमति और नियमानुसार हो रहे हैं।



राजनीति नहीं, सहयोग करें - समीर काज़ी का जलील को खुला संदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष समीर काज़ी ने कहा कि इम्तियाज जलील ने पिछले दस वर्षों में विधायक और सांसद के रूप में काम किया है, ऐसे में उन्हें अपने अनुभव का उपयोग समाज के हित में करना चाहिए। बिना आधार के आरोप लगाकर राजनीति करने की बजाय सकारात्मक कार्य में हाथ बंटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से मैदान पर कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा है बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ चल रही है। वास्तविक स्थिति - बैठकों, मंजूरी और कार्य आदेश के सबूत समीर काज़ी ने बताया कि अगस्त

२०२४ में तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक हुई थी। इसके बाद ४ अक्टूबर २०२४ को राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयुक्तालय और मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल की इमारतों के निर्माण हेतु बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ६ दिसंबर २०२४ को सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। स्टेडियम की जमीन सुरक्षित, निर्माण की कोई योजना नहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि आमखास मैदान की कुल भूमि २९.१० एकड़ है, जिसमें से ११ एकड़ जमीन फुटबॉल स्टेडियम के लिए आरक्षित है। यह

जगह स्टेडियम के लिए ही तय है और इम्तियाज जलील भी तीन वर्षों तक वक्फ सदस्य रहे हैं, उन्हें इसकी पूरी जानकारी है। हम इस जगह को हाथ भी नहीं लगाएंगे, समीर काज़ी ने कहा। अजित पवार के साथ बैठक: फिर से चर्चा होगी काज़ी ने बताया कि हाल ही में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ अल्पसंख्यक विभाग की बैठक हुई थी, जिसमें यह आश्वासन दिया गया कि वक्फ और अल्पसंख्यक विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। आगामी ५ मई को मुंबई में फिर से बैठक निर्धारित है, जिसमें आमखास मैदान के प्रोजेक्ट्स, तीन कार्यालयों की

विधिवत मंजूरी तथा स्टेडियम के लिए विशेष निधि की मांग पर चर्चा की जाएगी। वक्फ बोर्ड द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए ठोस पहल समीर काज़ी ने बताया कि वक्फ बोर्ड अगले ५० वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास योजना बना रहा है। अब तक राज्यभर में वक्फ कार्यालय खोले गए हैं, वक्फ की आय दोगुनी की गई है, १०० युवाओं को अनुबंध के आधार पर रोजगार मिला है, बारामती में उर्दू स्कूल के लिए जमीन दी गई है, मेडिकल कॉलेज के लिए बीड में प्रस्ताव भेजा गया है, और इस वर्ष रिकॉर्ड १,५०० संस्थाओं का नोंदंकन मंजूर किया गया है।

सातबारा पर दर्ज कालबाह्य और निरर्थक नोंदियों को हटाने का आदेश जारी

जीवंत ७/१२ अभियान' का दूसरा चरण शुरू, किसानों को बड़ी राहत

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई मुंबई, २ मई: किसानों को जमीन से जुड़ी किसी भी तरह की अड़चनों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने 'जीवंत ७/१२ अभियान' के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत जमीन के सातबारा दस्तावेजों (७/१२ उतारे) पर दर्ज कालबाह्य और निरूपयोगी नोंदियों को हटाकर उनकी जगह वास्तविक और अद्यतन जानकारी दर्ज की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।



अभियान के अंतर्गत जिन पुराने व अप्रासंगिक नोंदियों को हटाया जाएगा, उनमें अपाक शेरा, तगाई कर्ज, बंधन बोजे, नजर गहाण, सावकारी कर्ज, भूसंपादन के निर्णय, बिनशेती आदेश, पोटखराब क्षेत्र, महिला वारसों की नोंद आदि शामिल हैं। इनकी जगह अब वारसों की अद्यतन जानकारी, स्वामित्व, भोगवट्याचे प्रकार, और सार्वजनिक स्थलों जैसे श्मशानभूमि की स्पष्ट नोंद अधिकार अभिलेखों में की जाएगी।

राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने बताया कि इन कालबाह्य नोंदियों के कारण किसानों को कर्ज आवेदन, जमीन की खरीदी-बिक्री और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब यह अभियान किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा और वर्षों से लंबित मामलों का भी समाधान होगा। सरकार ने तालाठी (पटवारी) अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पुनर्लेखन करके पुराने कर्ज व टिप्पणियां हटाएं और अद्यतन जानकारी दर्ज करें। यह कार्य जिला व मंडल स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया की निगरानी और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और उपविभागीय अधिकारियों को सौंपी गई है।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा, यह निर्णय किसानों के जीवन से जुड़ी रोजमर्रा की समस्याएं दूर करने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे वर्षों से लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी।

बीड: तालुकास्तरीय शांति समिति की बैठक में बंद पड़ी चौकियों को पुनः शुरू करने की मांग



बीड, प्रतिनिधि: बीड शहर पुलिस स्टेशन में आज पुलिस अधीक्षक श्री कावत साहब की अध्यक्षता में तालुकास्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के सामाजिक प्रतिनिधियों एवं समिति सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। शांति समिति के सदस्य मुसा खान पटान ने बैठक में बोलते हुए बीड शहर की बंद पड़ी पुलिस चौकियों को दोबारा शुरू करने की मांग उठाई। उन्होंने विशेष रूप से कोतवाली वेस जुना बाजार चौकी, माळी वेस पुलिस चौकी, और किला मैदान क्षेत्र में स्थित पुलिस चौकी, जो वर्तमान में निष्क्रिय हैं, उन्हें पुनः कार्यरत किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के दो प्रमुख महाविद्यालय - मिलिया कॉलेज और बलभीम कॉलेज में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इन स्थानों पर पुलिस की सतत उपस्थिति आवश्यक है। इसके लिए संबंधित चौकियों को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक ने समिति के सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

महाराष्ट्र और गुजरात की आत्मा एक ही है-राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई मुंबई, २ मई: महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि भाषा आधारित राज्य पुनर्गठन के बाद दोनों राज्य अस्तित्व में आए, फिर भी इनकी आत्मा एक ही है। यह विचार महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने गुरुवार को राजभवन मुंबई में महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। यह आयोजन केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के अंतर्गत किया गया था, जिसका संयोजन सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से हुआ।

राज्यपाल राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में कहा: महाराष्ट्र और गुजरात ने भारत को कई महान राष्ट्रपुरुष दिए हैं, जिनकी पहचान अब केवल उनके राज्यों तक सीमित न रहकर

राजभवन मुंबई में मनाया गया राज्य स्थापना दिवस, एक भारत श्रेष्ठ भारत' उपक्रम के अंतर्गत आयोजन

राष्ट्रव्यापी हो चुकी है। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो गुजरात के महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक बन गया है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के योगदान के बिना देश में लोकतंत्र की स्थापना और उसका टिकाव संभव नहीं होता। आज भी ये दोनों राज्य भारत की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्यपाल ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तमिलनाडु के जिंजी और वेल्होर के किले जीते थे और तिरुवन्नामलाई के शिव मंदिर की प्रतिष्ठा कर धर्म की रक्षा का कार्य किया था। उन्होंने यह भी बताया कि तंजावुर स्थित भोसले

राजाओं ने अपने सरस्वती महल ग्रंथालय में दुर्लभ तमिल साहित्य का संरक्षण किया, जो भारतीय सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि विविध धर्मों, पंथों, भाषाओं, पहनावे और खानपान की परंपराओं के बावजूद भारत एक सशक्त और एकीकृत राष्ट्र बना हुआ है। यह हमारी संस्कृति और धर्म के साझा मूल्यों की वजह से संभव हुआ है। यदि हम इस सांस्कृतिक एकता को बनाए रखें, तो भारत निश्चित रूप से एक विकसित राष्ट्र बनेगा, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस चांसलर डॉ. पराग केळकर, राज्यपाल के उपसचिव एस. राममूर्ति, विश्वविद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, कला निर्देशक एवं छात्रागण उपस्थित थे।

जातीय जनगणना की अंतिम समय-सीमा घोषित करे केंद्र सरकार-नसीम खान

मुंबई, १ मई (प्रतिनिधि): महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के कार्यकारी अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति (उथउ) के सदस्य नसीम खान ने केंद्र की भाजपा सरकार से मांग की है कि वह जातीय जनगणना की घोषणा पर जल्द से जल्द अमल करते हुए इसकी अंतिम समय-सीमा घोषित करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (जड़उ) को उनका पूर्ण संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण की वर्तमान ५० प्रतिशत सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए। नसीम खान ने कहा कि केंद्र द्वारा जातीय जनगणना का फैसला भले ही देर से आया हो, लेकिन यह एक स्वागतयोग्य कदम है और

कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मांग को लगातार उठाया है और जनहित के लिए मजबूत आवाज बने हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में इस प्रकार की जनगणना पहले ही करवाई जा चुकी है, जबकि भाजपा ने हमेशा इसका विरोध किया। अब जबकि केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, तो इसे केवल प्रतीकात्मक न बनाकर स्पष्ट समयसीमा के साथ तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया

जाना चाहिए। नसीम खान विल्लश्रज लहरीरप स्थित महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की गई, जिसे स्वयं नसीम खान ने संपन्न किया। इस अवसर पर पार्टी के कई प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें एडवोकेट गणेश पाटिल (उपाध्यक्ष - संगठन एवं प्रशासन), डॉ. अमरजीत सिंह मनहास (कोषाध्यक्ष),

राजन भोसले, मुनाफ हकीम, राजेश शर्मा, रमेश शेड़ी तथा सेवा दल के कार्यकर्ता शामिल थे। अपने संबोधन में नसीम खान ने महाराष्ट्र की स्थापना और श्रमिकों के योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ देश को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश की विकासशील नींव रखी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की स्थापना के बाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण और उस समय की कांग्रेस सरकार ने महाराष्ट्र को देश की प्रमुख राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई।

तस्वीर नामा योद्धा

गूज़रा है साहस का इक दीवाना, हक के लिए अपनों से भी टकराना। कमजोरों की खातिर रचा था संघ, यारों, उस कुर्बानी को मत भुलाना।



- काज़ी मखदूम
९२७०५७४४४४

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

महाराष्ट्र के सभी जिलों में डीएम को और मुंबई में राज्यपाल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मेमोरैंडम सौंपा गया

मुंबई राजभवन में गवर्नर के सचिव ने ज्ञापन स्वीकार किया

मुंबई, २ मई: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आज महाराष्ट्र के सभी जिला मुख्यालयों में हाल ही में पारित वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। वहीं, मुंबई राज्य की राजधानी होने के कारण यह ज्ञापन सीधे राजभवन पहुंचाकर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी. पी. राधाकृष्णन को प्रस्तुत किया गया।

राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके सचिव एस. राममूर्ति ने यह ज्ञापन स्वीकार किया। यह ज्ञापन महाराष्ट्र में पर्सनल लॉ बोर्ड की 'तहफ़्फ़ुज़-ए-अक़ाफ़ कमेटी' के संयोजक मौलाना महमूद अहमद खां दरियाबादी की अगुवाई में सौंपा गया।

ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख आपत्तियाँ दर्ज की गईं:

- हालिया संशोधन वक्फ अधिनियम १९९५ में किए गए हैं जो असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण हैं।
- ये संविधान के अनुच्छेद १४, २५, २६ और २९ का उल्लंघन करते हैं।
- वक्फ संपत्तियों को मिली संवैधानिक



सुरक्षा को समाप्त किया गया है, जबकि अन्य धार्मिक समुदायों की संपत्तियों को यह संरक्षण अब भी प्राप्त है।

४. यह धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता के मौलिक अधिकारों के विपरीत है।

५. कोई व्यक्ति यदि पिछले ५ वर्षों से 'प्रेक्टिसिंग मुस्लिम' न रहा हो, तो वह वक्फ नहीं कर सकता - यह प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है।

६. ये संशोधन अन्य धार्मिक संस्थानों को भी प्रभावित करते हैं और समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

७. वक्फ संपत्तियों के लिए जो लिमिटेशन एक्ट से छूट थी, उसे समाप्त कर दिया गया है।

८. यदि सरकार वक्फ भूमि पर कब्जा कर ले, तो वह उसकी मालिक बन सकती है, क्योंकि अब निर्णय का अधिकार एक नामित अधिकारी को दिया गया है।

९. पहले केवल मुस्लिम ही वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य बन सकते थे, अब यह शर्त हटा दी गई है।

१०. वक्फ उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है, और विवाद की स्थिति में वक्फ की स्थिति भी

समाप्त हो सकती है।

११. ये बदलाव मुसलमानों को अपने धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने से वंचित करते हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित इन सभी विवादास्पद संशोधनों को तुरंत रद्द किया जाए।

मुंबई में ज्ञापन सौंपने वालों में शामिल प्रमुख नाम:मौलाना महमूद दरियाबादी, अबू आसिम आज़मी, फ़रीद शेख, मुफ़्ती सईदुर्रहमान, सलीम मोटरवाला, मुंसी बशरा आबिदी, सर्फ़राज़ आरज़ु, मौलाना आगा रूह ज़फ़र, मौलाना अनीस अशरफ़ी, मौलाना अब्दुल जलील अंसारी, मुफ़्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा कासमी, हुमायूँ शेख, डॉ. अज़ीमुद्दीन, शाकिर शेख, मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी, मौलाना मोहम्मद असीद आदि। महाराष्ट्र के अन्य जिलों - ठाणे, पालघर, औरंगाबाद, हिंगोली, भुसावल, यवतमाल, परभणी, वाशिम, जलगाँव, जामनेर, पुणे, मंगरोल, बीड, नंदुरबार, जालना, सांगली, जितूर समेत सभी जिलों और तहसीलों में भी संबंधित डीएम व एसडीएम को इसी प्रकार का ज्ञापन सौंपा गया।

उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाइक ने किया मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष का उद्घाटन



बीड, १ मई (प्रतिनिधि): मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशानुसार बीड के जिलाधिकारी कार्यालय में स्थापित मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष का उद्घाटन आज उद्योग व सार्वजनिक निर्माण राज्यमंत्री इंद्रनील नाइक के हाथों संपन्न हुआ।

इस अवसर पर जिलाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य जीवणे, पुलिस अधीक्षक नवनीत कवत, तथा सहायता कक्ष के प्रमुख चैतन्य कागदे प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

उद्घाटन के पश्चात श्री नाइक ने सहायता कक्ष का निरीक्षण किया तथा यहां का कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने

बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया।

यह सहायता कक्ष जिलाधिकारी कार्यालय की भूतल मंजिल पर स्थापित किया गया है। इस कक्ष में ऐसे जरूरतमंद नागरिक, जिन्हें चिकित्सकीय उपचार हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, वे आवेदन कर सकेंगे। कक्ष में न केवल आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, बल्कि संबंधित अस्पतालों से समन्वय और सहायता राशि भी यहीं से प्रदान की जाएगी। पहले इस तरह की सहायता के लिए मुंबई तक आवेदन भेजना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा सीधे जिला मुख्यालय पर उपलब्ध होने से जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

सेल्फ फाइनैस स्कूलों की मंजूरी की ऑनलाइन प्रक्रिया अत्यंत जटिल:

‘फेम’ के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने एजुकेशन कमिश्नर से की मुलाकात

मुंबई (संवाददाता): एक ओर जहाँ दस्तावेज़ी उलझनों में फँसाया जा रहा राज्य सरकार साक्षरता दर बढ़ाने के है।



इसी गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल फेडरेशन (फेम) के राज्य समन्वयक शम्बीर शाकिर ने पुणे स्थित राज्य शिक्षा आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की।

इस अवसर पर शम्बीर शाकिर ने शिक्षा आयुक्त से विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की, विशेषकर सेल्फ फाइनैस स्कूलों की मंजूरी हेतु आवेदन की

ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान आने वाली तकनीकी अड़चनों को लेकर। उन्होंने बताया कि स्कूलों की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई है। अधिकांश स्कूल स्टाफ को तकनीकी जानकारी न होने के कारण कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, जिन्हें सुधारना बेहद कठिन हो जाता है।

शम्बीर शाकिर के अनुसार, कई सेल्फ फाइनैस स्कूलों ने पहले ऑफलाइन आवेदन किया था, फिर भी उन्हें अब दोबारा ऑनलाइन अनुमति लेनी पड़ रही है, और इस प्रक्रिया में अनेक तकनीकी समस्याएँ सामने आ रही हैं। शिक्षा यतों को गंभीरता से सुनने के बाद शिक्षा आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तलब कर तुरंत सकारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिले में शिवसंग्राम सदस्यता अभियान का शुभारंभ

छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से अभियान की हुई शुरुआत; मुस्लिम समाज सहित सभी वर्गों का मिला उत्साहजनक प्रतिसाद

बीड (प्रतिनिधि): पुणे में आयोजित शिवसंग्राम की राज्यस्तरीय बैठक में संगठन की अध्यक्ष डॉ. ज्योती विनायकराव मेटे ने राज्यभर में सदस्यता अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। इसी के तहत यह अभियान १ मई से ३० मई तक पूरे महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है।

बीड जिले में इस अभियान की शुरुआत २ मई को छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में शिवाजी महाराज को अभिवादन अर्पित कर की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने जिले के लिए निर्धारित सदस्यता लक्ष्य को पूर्ण करने का संकल्प लिया।

डॉ. मेटे ने कहा कि लोकनेते विनायकराव मेटे द्वारा स्थापित शिवसंग्राम संघटन सर्वोपरि के विचार पर आधारित



एक लोकतांत्रिक संगठन है, जिसमें सामूहिक निर्णय और संवाद की संस्कृति है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की और बताया कि अगले एक महीने तक यह अभियान जारी रहेगा, जिसमें जिले भर में ५० हजार सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस अभियान में युवाओं, महिलाओं और बौद्ध समाज सहित सभी समाजों ने भागीदारी की है। विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में सदस्यता

ली है।

इस अवसर पर शिवसंग्राम के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभाकर कोलंगडे, जिलाध्यक्ष प्रा. सुभाष जाधव, जिला सरचिटणीस अनिल घुमरे पाटील, शहराध्यक्ष सुहास पाटील, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक पंडितराव माने, सचिन काळकुटे, खेदी विक्री संघ के संचालक गोपीनाथ घुमरे, मजूर सहकारी संस्था के संचालक बाळासाहेब हावळे, रामदास नाईकवाडे, ज्ञानेश्वर कोकाटे, मनोज

जाधव, सुनील शिंदे, शेख कुतुब भाई, शेख आबेद, संगीता टोसर, शेषराव तांबे, सुशील कांबळे, कैलास शेजाळ, विश्वराव ढोकणे, राजेंद्र आमटे, अशोक लोकरे, रायचंद कापसे, देविदास मंगडे, धर्मराज मागडे, पंडित शेंडगे, हरीचंद्र टोसर, गणेश धोंडरे, संदीप नवले, ओंकार पाटील समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

क्या आप चाहते हैं कि इसे संपादकीय शैली में भी तैयार किया जाए ?

जंग हुई तो चीन दिखा सकता है पाक को पीठ

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तानी उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद मीडिया में दावा किया जाने लगा कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये दावा सिर्फ इस आधार पर हो रहा है कि चीन ने पाकिस्तान की 'निष्पक्ष जांच' वाली मांग का समर्थन किया है।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंग्रेज़ी दैनिक ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, चीन उम्मीद करता है कि दोनों पक्ष (भारत और पाकिस्तान) इस मामले में संयम बरतेंगे। अब अहम सवाल यह है कि अगर जंग हुई तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा ? अगर बात कारगिल जंग (१९९९) की करें तो तब चीन ने पाकिस्तान का खुलकर या प्रत्यक्ष रूप से सैन्य या राजनयिक समर्थन नहीं किया था। भले ही चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे रणनीतिक संबंध हैं, जिन्हें अक्सर सदाबहार दोस्ती कहा जाता है। पाकिस्तान तो चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर बड़े-बड़े दावे करता है। पाकिस्तान के नेता हर् संकट के वक्त बीजिंग पहुंच जाते हैं के कटोरा लेकर। दरअसल

कारगिल संघर्ष के दौरान चीन की प्रतिक्रिया काफी सधी हुई थी। चीन ने तब भी आधिकारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और बातचीत से जटिल मामलों को हल करने का आग्रह किया था। यानी चीन उस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ था।

चीन ने नियंत्रण रेखा का सम्मान करने का दोनों पक्षों से आग्रह किया था। यह परोक्ष रूप से पाकिस्तान की आलोचना थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चीनी विभाग के अध्यक्ष प्रो. तान चुंग कहते थे कि चीन बहुत प्रेक्टिकल देश है। वह बहुत सोच-समझकर ही खुलकर किसी देश के साथ खड़ा होता है।

जानकारों का कहना है कि जब कारगिल युद्ध के समय तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ़ समर्थन मांगने चीन गए, तो चीनी नेतृत्व ने उन्हें पीछे हटने और मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने की सलाह दी। चीन इस संघर्ष को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था। चीन का मत था कि दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के

बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहने चाहिए।

दरअसल तब चीन ने पाकिस्तान की कार्रवाई की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं की थी, पर उसने पाकिस्तान की कारगिल में सैन्य घुसपैठ का समर्थन भी नहीं किया था। उसने बातचीत के जरिए तनाव कम करने पर जोर दिया था। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि चीन ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था।

हाँ, १९६५ और १९७१ के भारत-पाक युद्धों में चीन ने पाकिस्तान का कह सकते हैं समर्थन किया था, लेकिन खुलकर



साथ होने की व्याख्या थोड़ी जटिल है और दोनों युद्धों में उसकी भूमिका थोड़ी अलग थी। चीन ने १९६५ की जंग के वक्त भारत की कड़ी आलोचना की और पाकिस्तान को अपना पूर्ण राजनयिक समर्थन दिया। चीन ने भारत पर सिक्किम सीमा पर उल्लंघन

का आरोप लगाते हुए सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। उसने सीमा के पास अपनी सेना की कुछ गतिविधियाँ भी बढ़ाई, जिससे भारत पर दूसरा मोर्चा खुलने का दबाव बना। यह पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण नैतिक और रणनीतिक समर्थन था। हालांकि चीन ने धमकियाँ दीं और दबाव बनाया, लेकिन उसने भारत के खिलाफ सीधे तौर पर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं की। उसका समर्थन मुख्यतः राजनयिक और मनोवैज्ञानिक दबाव तक ही सीमित रहा। तो कह सकते हैं कि चीन १९६५ में खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में था, उसने राजनयिक समर्थन दिया और सैन्य दबाव भी बनाया, लेकिन वह सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ।

चीन ने १९७१ में भी पाकिस्तान का राजनयिक समर्थन जारी रखा। हालांकि १९७१ में चीन का दबाव काफी कम था। कूटनीति मामलों के जानकार इसका एक अहम कारण बताते हैं- भारत-सोवियत संधि (१९७१)। इस संधि ने चीन को हतोत्साहित किया, क्योंकि भारत पर हमले की स्थिति में सोवियत संघ के हस्तक्षेप की संभावना थी। चीन उस समय सोवियत संघ के साथ तनावपूर्ण संबंध रखता था। इसके साथ ही सर्दियों में हिमालय के

दुर्गम दर्रों से बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करना चीन के लिए बहुत मुश्किल था। मतलब चीन ने १९७१ में भी कोई सीधा सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया।

एक बात समझ लें कि भले ही भारत-चीन के बीच सीमा विवाद है, पर चीन को मालूम है कि भारत उसके उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार है। यह बात उसे आजकल खासतौर पर समझ आ रही होगी क्योंकि अमेरिका उस पर भारी-भरकम टैरिफ लगा रहा है। फिलहाल भारत-चीन के बीच सालाना

आपसी व्यापार १२५ बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। भारत-चीन ने एक तरह से मान लिया है इनके जटिल सीमा विवाद का कोई हल निकले या ना निकले,पर ये अपने आपसी कारोबारी संबंधों को प्रभावित नहीं होने देंगे। याद करें कि लद्दाख सीमा पर चीन की ओर से हिसक झड़प करने और अतिक्रमण के बाद अखिल भारतीय स्तर पर चीनी सामान के बहिष्कार की मांग ने जोर पकड़ा था।

भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों तथा मोबाइल फोन कंपोनेंट्स का बहुत बड़े स्तर पर आयात करता है। हमारी

फार्मा कंपनियों की चीन पर निर्भरता तो खासी अधिक है। हमारी फार्मा कंपनियां अपनी जेनेरिक दवाओं को बनाने के लिए करीब ८५ फ़ीसदी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट्स (एपीआई) चीन से आयात करती है। एपीआई यानी दवाओं को बनाने के काम में आने वाला कच्चा माल। भारत में एपीआई का उत्पादन बेहद कम है और जो एपीआई भारत में बनाया जाता है उसके फ़ाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए भी कुछ चीज़ें चीन से लेनी पड़ती है।

भारत-चीन के बीच आपसी व्यापार तो कुलًاंचे भर रहा है, पर इससे भारत को फायदा नहीं हो रहा है। नुकसान इस लिहाज से होता है कि हम उससे जितना माल खरीदते हैं, उस तुलना में बेहद कम उसे बेचते हैं। हमारा चीन के साथ कुछ साल पहले तक व्यापार घाटा २९ अरब रूपए तक का हो गया था। पूर्व विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला भी मानते हैं कि इस व्यापार घाटे को संतुलित करने की जरूरत है। पर फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि भारत-पाक के बीच जंग वाली स्थिति बनी तो चीन किसका साथ देगा। तो जान लें कि चीन युद्ध की स्थिति में पाक का खुलकर साथ नहीं देगा।